सेवा में,

श्रीमान राष्ट्रपति महोदय,

राष्ट्रपति सचिवालय,

भारत

महोदय,

निवेदन है कि हिन्दी भाषा 14th September 1949 को राजकीय भाषा के तौर पर चुनी गई थी। भारतीय संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिन्दी एवं लिपि देवनागरी है। बावजूद इसके भारत में समस्त विधिक कार्य अंग्रेजी भाषा में किये जाते हैं। कोर्ट केस की रिपोर्ट से लेकर सूचना आयोगों के निर्णय के दस्तावेज़ तक सब अधिकांशतः अंग्रेजी भाषा में ही दिए जाते हैं। विशेषतः उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के दस्तावेज़ केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध करवाए जाते हैं। प्रार्थी नीचे आपको देश में वर्ष 2011 के अनुसार हिंदी भाषी की तुलनात्मक तालिका संलग्न कर रहा है जिसका स्रोत विकिपीडिया (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_languages_by_number_of_native_speakers_in_India) है:

List of languages by number of native speakers [edit]

Ordered by number of speakers as **first language**.

More than one million speakers [edit]

The 2001 census recorded 29 individual languages as having more than 1 million native speakers (0.1% of total population). The languages in **bold** are scheduled languages (the only scheduled language with less than 1 million native speakers is Sanskrit). The first table is restricted to only speaking populations for scheduled languages.

First, Second, and Third languages by number of speakers in India (2011 Census)

	First language speakers		Second language speakers[11]	Third language speakers[11]	Total speakers	
Language	**Figure[11]**	**% of total population**			**Figure[12][11]**	**% of total population**
Hindi[b]	528,347,193	43.63%	139,207,180	24,160,696	691,347,193	57.09%
English	259,678	0.02%	83,125,221	45,993,066	129,259,678	10.67%
Bengali	97,237,669	8.03%	9,037,222	1,008,088	107,237,669	8.85%
Marathi	83,026,680	6.86%	12,923,626	2,966,019	99,026,680	8.18%
Telugu	81,127,740	6.70%	11,946,414	1,001,498	94,127,740	7.77%
Tamil	69,026,881	5.70%	6,992,253	956,335	77,026,881	6.36%
Gujarati	55,492,554	4.58%	4,035,489	1,007,912	60,492,554	4.99%
Urdu	50,772,631	4.19%	11,055,287	1,096,428	62,772,631	5.18%
Kannada	43,706,512	3.61%	14,076,355	993,989	58,706,512	4.84%
Odia	37,521,324	3.10%	4,972,151	31,525	42,551,324	3.51%
Malayalam	34,838,819	2.88%	499,188	195,885	35,538,819	2.93%
Punjabi	33,124,726	2.74%	2,300,000	720,000	36,074,726	2.97%
Sanskrit	24,821	0.002%	1,234,931	1,196,223	2,360,821	0.19%

Table: Population ordered by number of native speakers

उक्त तालिकानुसार भारत देश में वर्ष 2011 में 58% अकेले हिंदी भाषी थे और फिर हिन्दी भारतीय राजभाषा भी है तो हमें अपने ही देश की राजभाषा को बढ़ावा देने

में किस बात की शर्म। और भाषा केवल एक माध्यम होती है वो किसी के ज्ञान का निर्धारण नहीं करती।

महामहिम से प्रार्थी का अनुरोध है कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के विधिक कार्य या तो पूरी तरह से हिन्दी में किये जाए या फिर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषा में करवाए जाए, केवल अंग्रेजी में पूरा विधिक कार्य किया जाना भारतीय राजभाषा का अपमान है। उम्मीद है आप प्रार्थी के अनुरोध पर संज्ञान लेते हुए निश्चय ही जनहित और राष्ट्रहित में कोई ठोस कदम अवश्य आगे बढ़ाएंगे।

धन्यवाद

प्रार्थी

मयंक सक्सैना

22/82, विजय नगर कॉलोनी,

आगरा, उत्तर प्रदेश - 282004